Form no 111

फर्द अहकाम
(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

नवान:— राम सिंह बनाम इकबाल सिंह आदि

रा :— 88 आर.टी.ए राजस्व वाद संख्या:— 03 / 2020

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्ला जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
020	अभिभाषक वादी के वकील श्री देवीलाल भागू द्वारा अर्न्तगत धारा 88 का वाद–पत्र पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट हो चुकी है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली 10.02.2020 दिनांक को पेश हो।	
10-2-20	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या एक की ओर से भी वकील शोकण वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया वादी व प्रतिवादी संख्या एक स्वयं उपस्थित राजीनामा मय साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया। जो वाद नजदीक शामिल पत्रावली किया गया राज पैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रकरण के राजीनामा होने से वकील उभयपक्ष को सुना गया। बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय मुचलके से लिखाया जाकर खुले न्यायालय के सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर [illegible] दफ्तर हो	राम सिंह 9. by me देवीलाल 9. by me राजीनामे के आधार पर (कपिल यादव) सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.19 13:08:51 IST
Reason: SelfAttested